

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 93/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.18

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का बनाम लाला पुत्र मीस्सा खां
कुचामन सिटी जाति मिरासी नि. कुचामन सिटी

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लाला पुत्र मीस्सा खां जाति मिरासी निवासी कुचामनसिटी ने ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता के उपस्थित।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया की कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 रकबा 38.01 है. गैर मुमकिन खारड़ा में से 0.02 है. भूमि पर मेरे द्वारा रहवास किया जा रहा है मेरे पास इसके अलावा रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है मैं गरीब व्यक्ति भूमिहीन हूँ। मजदूरी से मेरा घर का गुजारा करता हूँ। उक्त कब्जा सुदा भूमि मुझे आवटन करवाने कि कृपा करे। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत


प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब मनगढ़त व तथ्यों के परे जाकर के दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.10 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 10/- अक्षरे दस रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महावीर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0

मांग कायमी रा.ले.स.-4
वि.पु.संख्या 25
वर्ष 2018-19
रा.जुर्माना 10/-
क.नि.सं. /
रा.प.सं. /
प्रा.प.दावा /

तराले कुचामन सिटी